समूची दक्षिण और दक्षिण-पूर्व रेलें "ग" क्षेत्र में स्थित हैं जहां से क्रमशः 58 प्रतिशत, 37 प्रतिशत, 36 प्रतिशत, 27 प्रतिशत तथा 42 प्रतिशत पत्र हिन्दी में जारी किये जा रहे हैं जबकि कार्यक्रम में 10 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है। अतः सभी रेलें उनके निर्धारित किये गये लक्ष्यों से काफी आगे हैं।

रेल मंत्रालय एक तकनीकी मंत्रालय है। इसके बावजूद मार्च, 1984 को समाप्त अवधि में रेल मंत्रालय द्वारा 52 प्रतिशत पत्र मूल रूप से हिन्दी में भेजे गये। मंत्रालय द्वारा हिन्दी में मूल पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले दस्तावेजों को हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी करना अपेक्षित है। जिन क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालय हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित हैं उन्होंने मार्च, 1984 को समाप्त तिमाही के दौरान इस प्रकार के लगभग 92.7 प्रतिशत दस्तावेज हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किये हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रीय रेलें इस क्षेत्र में कुछ पीछे हैं। इन रेलों को इस सम्बन्ध में और अधिक सतर्क रहने को कह दिया गया है। रेलवे बोर्ड कार्यालय में धारा 3(3) का अनुपालन 98 प्रतिशत है।

राजभाषा अधिनियम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रीय रेलों पर चैक-प्वाइंट स्थापित किये गये हैं। रेल कार्यालयों में हिन्दी के काम-काज की मात्रा के अनुरूप रेल कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में देवनागरी टाइपराइटरों की व्यवस्था की गयी है। रेलों में देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या 1984 में बढ़कर 2779 हो गयी है जबकि 1976 में यह संख्या 609 थी।

इसके अलावा, "क" और "ख" क्षेत्रों में आयोजित सभी प्रतियोगी और अर्हक विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम अपनाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है भले ही नियम-पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद हुआ हो अथवा नहीं। इन परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र तथा परिणाम भी हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में तैयार किये जाते हैं।

प्लैटफार्मों पर वस्तुओं की ऊंची कीमत

1578. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्लैटफार्म, विशेषकर के कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय के प्लैटफार्म पर बड़े-बड़े बाजार हैं जहां घटिया किस्म की चीजें जैसे चप्पल, फल और खाद्य पदार्थ आदि बहुत ऊंची कीमतों पर बेची जाती हैं; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सामान बेचने वाले तथा भीख मांगने वाले, गाड़ियों के डिब्बों में प्रवेश कर जाते हैं और यात्रियों के सामान गायब कर देते हैं?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) घटिया माल बेचने और खान पान/वेंडिंग/विविध वस्तु यूनिटों द्वारा ऊंची कीमतें प्रभारित करने की घटनाओं की रोकथाम करने के लिए समय-समय पर जांच की जाती है।

(ख) डिब्बों और स्टेशन परिसरों में अनधिकृत वेंडरों/भीख मांगने वालों के प्रवेश को रोकने के लिए सतत प्रयास

किये जा रहे हैं। जब कभी पकड़े जाते हैं ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है।

रेलगाड़ियों में सफर कर रहे यात्रियों से अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जाना

1579. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलगाड़ियों में चल टिकट परीक्षक और संवाहक टिकट बनाने को तैयार नहीं होते और जब तैयार होते हैं तो वे उन यात्रियों से एक बार फिर प्रभार वसूल करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी यात्रा का ए० सी० सुपर चार्ज पहले ही चुका दिया होता है और जिनके पास ऐसे टिकट भी होते हैं जिन पर ब्रेक जर्नी की अनुमति पहले से ही दी हुई होती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग उन यात्रियों से भी आरक्षण प्रभार वसूल करता है जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में रहते हैं और जब उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता तो उनके पास पैसा वापस लेने के लिए समय नहीं बचता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केवल कुछ रेलों पर प्रतीक्षा-सूची वाले यात्रियों से आरक्षण प्रभार लिये जा रहे हैं। सभी रेलों पर समान प्रक्रिया लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

वनस्पति घी की कीमतों में वृद्धि के लिये समझौता

1580. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1984 में वनस्पति घी के निर्माताओं के दो संघों अर्थात भारतीय वनस्पति उत्पादक संघ तथा वनस्पति निर्माता संघ और सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिसके द्वारा एक जून, 1984 से वनस्पति घी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) कीमतों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं और समझौते में उपभोक्ताओं को क्यों नहीं शामिल किया गया ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) आयातित तेल के मूल्यों और वनस्पति के उत्पादन में प्रयुक्त निवेशों की लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप वनस्पति के मूल्यों में 24 मई, 1984 से वृद्धि की गई है।

(ख) करार की शर्तों के अनुसार, पहली बार वनस्पति के विभिन्न पैकों के अधिकतम खुदरा मूल्य नियत किये गये हैं।